



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1942 (श०)
(सं० पटना 540) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2020

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2020

सं० 7/मुकदमा (भूदान)—166/2017—404(7)/रा०—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक—911 (7) दिनांक 02.11.2017 द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन किया गया है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या—473 (7) दिनांक 08.05.2018 के भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार—गठन/प्रबंधन एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 (समय—समय पर यथासंशोधित) अधिसूचित है।

विभागीय अधिसूचना संख्या—636 (7) दिनांक—06.07.2018 के द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार, पटना के अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) तथा सदस्यों के रूप में श्री विनोद कुमार झा, वि०प्र०से० (सेवानिवृत्त) तथा श्री राम विलास पासवान, वि०प्र०से० (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से 2 (दो) वर्षों की अवधि तक के लिए की गई थी।

उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 17.07.2018 को आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा श्री विनोद कुमार झा द्वारा दिनांक 17.07.2018 को एवं श्री राम विलास पासवान द्वारा दिनांक 06.07.2018 (अप०) को सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया गया।

अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या—636 (7) दिनांक—06.07.2018 के क्रम में भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार, पटना के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों के वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त उनकी पुनर्नियुक्ति 01 (एक) वर्ष की अवधि अर्थात् अध्यक्ष— श्री अशोक कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) का दिनांक 17.07.2020 से दिनांक 16.07.2021 तक, सदस्य— श्री विनोद कुमार झा, वि०प्र०से० (सेवानिवृत्त) का दिनांक 17.07.2020 से दिनांक 16.07.2021 तक तथा सदस्य— श्री राम विलास पासवान, वि०प्र०से० (सेवानिवृत्त) का दिनांक 06.07.2020 (अप०) से दिनांक 06.07.2021 (पूर्वा०) तक के लिए की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० श्यामल किशोर पाठक,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 540-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>